स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 100, दिनांक 05-04-2024

समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 04-04-2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग के 01 सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

अमित सिंह पुत्र स्व0 शिवभूप सिंह, पता- डी 2173 इन्दिरा नगर, थाना-गाजीपुर, लखनऊ मूलपता-पांडे चौरा, पूरे वैस पुरवा, थाना करनैलगंज, गोण्डा।

बरामदगीः

1. 01 अदद मोबाईल फोन।

समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023 का प्रश्न पत्र आउट होने/विभिन्न माध्यमों से वायरल होने की सूचनाओं/तथ्यो के आधार पर शासन द्वारा परीक्षा निरस्त कर सम्पूर्ण पेपर लीक प्रकरण की जांच एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को आवंटित की गयी। उक्त प्रकरण में श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। थाना मंझनपुर, जनपद-कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट में वांछित अरूण कुमार सिंह व सौरभ शुक्ला को दिनांक 15-03-2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में जानकारी हुई कि समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक कराने का मास्टर माइण्ड राजीव नयन मिश्र है। दिनांक 02-04-2024 को एसटीएफ नोएडा द्वारा राजीव नयन मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा उर्फ राहुल मिश्रा से पूछताछ में ज्ञात हुआ तथ्यों के आधार पर अमित सिंह उपरोक्त को दिनांक 04-04-2024 को एसटीएफ मुख्यालय पूछताछ हेतु बुलाया गया था। राजीव नयन ने पूछताछ में यह भी बताया था कि उसने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर रू0 25 लाख में डा0 शरद सिंह को बेचा था।

अमित सिंह उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह गोमतीनगर में कामर्स की कोचिंग चलाता था। उसी दौरान दीपक दुबे बलिया के माध्यम से राजीव नयन उर्फ राहुल मिश्रा निवासी प्रयागराज से सम्पर्क हुआ। अमित सिंह ने राजीव नयन को टीजीटी परीक्षा-2020/21 का पेपर पढाने के लिए रूपये 20 लाख दिया था। उसके बाद से कई भर्ती परीक्षाओं में राजीव नयन को कैण्डिडेट उपलब्ध करा चुका है। राजीव नयन ने पुलिस भर्ती व आरओ/एआरओ भर्ती परीक्षा 2023 में पेपर आउट कराने के लिये कहा था तथा अमित सिंह से अभ्यर्थियों की व्यवस्था करने के लिये बोला था। राजीव नयन ने बताया था कि सभी अभ्यर्थियों को लखनऊ और प्रयागराज में पेपर का उत्तर पढ़ाया जायेगा। उक्त परीक्षा के पेपर के बदले डा0 शरद सिंह से 15 लाख रूपये प्रति अभ्यर्थी देना तय हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा जो दिनांक 11-02-2024 को होनी थी उसके पहले प्रति अभ्यर्थी 2 लाख रूपये देना तय हुआ था, शेष पैसा काम होने के बाद देना था। सभी लड़कों को राजीव नयन मिश्र के नैनी प्रयागराज स्थित आरोग्यम हास्पिटल में ले जाकर पेपर पढवाया गया था। आरोग्यम हास्पिटल

का मालिक राजीव नयन ही है। बाकी लड़कों के लिये राहुल ने बताया था कि डा0 शरद सिंह से सम्पर्क करें। डा0 शरद अपनी वरना कार व अन्य गाडियों में प्लासियो माल के पास अभ्यर्थियों को बैठाकर लगभग 02 घंटे तक पेपर पढ़ाया व लड़कों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया।

उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा–2023 के पेरर लीक के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि उसने करीब 40 अभ्यर्थियों की व्यवस्था किया था जिनको राजीव नयन उर्फ राहुल मिश्रा के खास सहयोगी पुष्कर पांडेय अभ्यर्थियों को बस से रीवा लेकर गया। दिनांक 16.02.2024 को दिन में शिव शक्ति रिसार्ट में सभी अभ्यर्थियों को पेपर पढवाया गया था। उसी दिन राजीव नयन उर्फ राहुल मिश्रा के पैसा मांगने पर अमित सिंह उपरोक्त ने अपने चचेरे भाई विजय प्रताप सिंह पुत्र अमरेश बहादुर सिंह निवासी पांडे चौरा, वैस पुरवा थाना करनैलगंज गोण्डा से बात करके तत्काल जरूरत बताकर 05 लाख रूपये राजीव नयन उर्फ राहुल मिश्रा के दिये हुए खाते में ट्रांसफर करा दिया था। यह पैसा आरओ/एआरओ भर्ती परीक्षा के पेपर के एवज में दिया था। शेष पैसा बाद में देने की बात हुयी थी। रीवा रिसार्ट में राजीव नयन मिश्र, कामेंश्वर मौर्या, पुष्कर पाण्डेय व अन्य कई लोग थे।

अमित सिंह उपरोक्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिस खाते में 05 लाख रूपये ट्रांसफर करने की बात बतायी गयी उसकी पुष्टि हुई। अमित सिंह उपरोक्त से पूछताछ एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2023 एवं पुलिस भर्ती परीक्षा–2023 के पेपर लीक कराया गया तथा परीक्षा की सुचिता भंग की गई है। जिस आधार पर अमित सिंह को समय 16.00 बजे हिरासत में लिया गया। अमित सिंह सीटेट परीक्षा पेपर आउट कराने के सम्बन्ध में जनवरी 2023 में थाना कंकरखेड़ा मेरठ से जेल जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा0द0वि0 व 66डी आई0टी0एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>अभियुक्त अमित सिंह उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-</u>

1– मु0अ0सं0 39/2023 धारा 420, 467,468, 471, 120बी भादवि, थाना कंकरखेड़ा, मेरठ।